PUBLIC NOTICE

HOSPITALS/NURSING HOMES/MATERNITY HOMES ETC.

Attention of all Hospitals, Nursing Homes, Maternity Homes, Unregistered Orphanages, etc., throughout the Country, whether run by Government, local bodies, voluntary agencies, trusts or private persons is invited to:

- Direction dated 03.12.1986 of Hon'ble Supreme Court of India in the Case of Laxmi Kant Pandey vs. Union of India and Others (Crl. Misc. Petition No. 3142/1986);
- Direction dated 10.05.2013 of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Bachpan Bachao Andolan [Writ Petition (Civil) No. 75 of 2012 that any private home, being run for the purpose of sheltering children shall not be entitled to receive a child, unless forwarded by the Child Welfare Committee and unless they comply with all the provisions of Juvenile Justice Act, including registration.
- Section 32 & 34(3) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000;
- Para 10 of the "Guidelines Governing the Adoption of Children 2011".

In compliance of the directions of the Hon'ble Apex Court and the statutory provisions as mentioned above, all Hospitals, Nursing Homes, Maternity Homes, etc. which come across abandoned children or find such children abandoned in their surroundings or otherwise shall immediately give information to any of the following Authorities/Agencies for their restoration or rehabilitation following due process:

- Local Police Station (100) or
- Chid line(1098) or
- Local Child Welfare Committee (CWC) or
- · Nearest Specialised Adoption Agency (SAA) or
- District Child Protection Unit (DSPU):

It is further informed that any person running a Child Care Institution (CCI) is required to get such Institution registered with the State Government under Section 34 (3) of the Juvenile Justice Act, 2000 and corresponding Rules. No person or institution shall run an Adoption Agency or carry out adoption placement of orphan, abandoned and surrendered children without a Certificate of Recognition under Section 41(4) of the said Act from the competent authority.

For further information, the District Child Protection Unit (DSPU) may be contacted directly. Now you can reach also CARA with **Toll Free No**:1800-11-1311 between 9:30 am to 5.30 pm

Issued in the public interest by:



CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY (CARA)

(An Autonomous Body of Ministry of Women & Child Development)

Government of India

West Block – VIII, Wing – II, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi. Ph.011- 26180194, Fax. 011-26180198

Email: carahdesk.wcd@nic.in Website: www.adoptionindia.nic.in

सार्वजनिक सूचना

अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/प्रसूति गृहों आदि

पूरे देश भर में सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, प्रसृति गृहों, गैर पंजीकृत अनाथालय आदि, चाहे वे परकार, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों, ट्रस्टों या निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हों, का निम्नलिखित के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

- माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय का लक्ष्मी कांत पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य (Crl.Misc. Petition No. 3142/1986) के मामले में निर्देश दिनांक 03.12.1986
- माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय का बचपन बचाओ आंदोलन [रिट याचिका (सिविल) नं. 75 ऑफ 2012] के मामले में निर्देश दिनांक 10.05.2013 कि कोई निजी गृह (प्राइवेट होम), जो कि बच्चों को आश्रय देने के उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा है, किसी बच्चे को स्वीकार करने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि इसे बाल कल्याण समिति द्वारा न भेजा गया हो तथा जब तक कि वे पंजीकरण सहित किशोर न्याय अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हों।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 32 एवं 34 (3)
- ''बच्चों के दत्तकग्रहण को अधिशासित करने वाले दिशा-निर्देश-2011'' का पैरा 10

उपरोक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, सभी अस्पतालों नर्सिंग होम्स, प्रसूति गृहों आदि जो कि छोड़े हुए बच्चों के सम्पर्क में आते वा अपने पास-पड़ोस में या अन्यथा ऐसे छोड़े गए बच्चों को पाते हैं, को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उनकी पुनः प्रतिष्ठा तथा पुनर्सुधार के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों/एजेंसियों में से किसी को तुरन्त जानकारी देनी होगी:

- स्थानीय पुलिस स्टेशन (100) या
- चाइल्ड लाइन (1098) या
- स्थानीय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) या
- नजदीकी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण एजेंसी (एसएए) या
- जिला बाल संरक्षण एकक (डीएसपीय);

्यह आगे सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि एक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) संचालित कर रहा है, को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 34 (3) तथा संगत नियमावली के अधीन राज्य सरकार के साथ ऐसे संस्थान को पंजीकृत कराना होगा। कोई व्यक्ति या संस्थान, सक्षम प्राधिकारी से कथित अधिनियम की धारा 41 (4) के अधीन एक मान्यता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ रिकिंग्निशन) के बगैर अनाथ, छोड़े गए तथा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण नियोजन को न तो कार्यान्वित करेगा या न ही कोई दत्तकग्रहण एजेंसी चलाएगा।

अधिक जानकारी के लिए, जिला बाल संरक्षण एकक (डीएसपीयू) से सीधे सम्पर्क किया जा सकता है। आप सीएआरए से टोल फ्री नं. : 1800-11-1311 पर प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच सम्पर्क कर सकते हैं।

जनहित में जारीकर्ताः



केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए)

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय)

भारत सरकार

पश्चिमी खंड-VIII, विंग-II, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, फोन नं. 011-26180194 फैक्स नं. 011-26180198 ई-मेल : carahdesk.wcd@nic.in वेबसाइट : www.adoptionindia.nic.in

Nav Bharat Tiney New Delli, 15-01-2015